



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-४४१ /छ:-स्वा०/२०२६-२७

दिनांक- २०/०७/२०२६

नाम- श्री काशी यादव

पुत्र- स्व० प्यारे लाल यादव

मोहल्ला- सिपाह जौनपुर

मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 882 /छ:-स्वा0 /2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री जियालाल
पुत्र- स्व0 प्यारे लाल
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8299862776

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- ४४३ / छः-स्वा० / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री विवेक यादव
पुत्र- स्व० धर्मदेव यादव
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 7275034356

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-884 /छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री विजय यादव

पुत्र- स्व0 सीताराम यादव

मोहल्ला- सिपाह जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 9919957458

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 885/छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री सत्यम यादव

पुत्र- श्री बाबू राम यादव

मोहल्ला- सिपाह जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 8090322348

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 886 / छः-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री सरोज मौर्या

पुत्र- श्री नन्द लाल मौर्या

मोहल्ला- सिपाह जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 8960840648

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 887 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री पवन यादव
पुत्र- स्व0 गंगा प्रसाद यादव
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 7081017438

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-४४४ /छ:-स्वा०/२०२६-२७

दिनांक- १०/०७/२०२६

नाम- श्री अनिल कुमार यादव

पुत्र- श्री लालजी यादव

मोहल्ला- सिपाह जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 9161677766

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-889 /छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री साहब लाल यादव
पुत्र- स्व0 बच्चा लाल यादव
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9795971506

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- ४४० / छः-स्वा० / 2026-27

दिनांक- २०/०७/२०२६

नाम- श्री हरगेन यादव
पुत्र- स्व० सीतराम यादव
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9670580203

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 879 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री नीरज यादव

पुत्र- श्री कन्हई यादव

मोहल्ला- सिपाह जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 8090307032

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिकासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-878 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री अरविन्द यादव
पुत्र- श्री महगू यादव
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8808923524

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 877 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री अनुज यादव

पुत्र- श्री निरंजन यादव

मोहल्ला- सिपाह जौनपुर

मोबाईल नम्बर- 8090711782

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-876 /छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री प्रमोद यादव
पुत्र- श्री जयराम यादव
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8785192736

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-875 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री कल्लू
पुत्र- श्री इशरत अली
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 7860799085

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(धर्मराज राम)
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 904 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- रामभद्र भायव
 पुत्र- स्वा. रामभद्र भायव
 मोहल्ला- सिपाह, जौनपुर
 मोबाईल नम्बर- 905112507

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिसासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-१०३ /छ:-स्वा०/२०२६-२७

दिनांक- २०/०७/२०२६

नाम- श्री विवेक भायव
पुत्र- स्व. मारकणेश भायव
मोहल्ला- सिपाह, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- ९१२५५९५५३

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- १०५ / छ:-स्वा० / २०२६-२७

दिनांक- २०/०७/२०२६

नाम- श्री रविशंकर झा
पुत्र- श्री उद्यमराज झा
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 912 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री फुल्लुन भायव
पुत्र- स्व. राधेश्याम भायव
मोहल्ला- सिपाह जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9421604436

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 913 /छ:-स्वा0/2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री अरसी
पुत्र- स्व. सत्यमान
मोहल्ला- सिपह, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9275625909

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 914 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री रामकुमार झायव
पुत्र- स्व. भोवानाथ झायव
मोहल्ला- सिपाह, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9889556035

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 915 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री बलेश भायव
पुत्र- स्व० बाबुराम भायव
मोहल्ला- सिपाह, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8840436070

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।


(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

/

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 908 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री प्रानु सेठ
पुत्र- श्री रामजी सेठ
मोहल्ला- खवालायौस्त, जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 902 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री इरफान खान
पुत्र- श्री अफकल्लाह
मोहल्ला- बल्होयली, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8726232604

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 901 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री अमावोकर उपाध्याय
पुत्र- स्व. रमेश चandra उपाध्याय
मोहल्ला- बल्लोचौली, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 8090658062

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 911 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री निरिन भायव
पुत्र- श्री विलम भायव
मोहल्ला- वासमहल, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9670832982

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)

अधिशाली अधिकारी

नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 906 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री शिवकिशोर भायव
पुत्र- स्व. महीदेव भायव
मोहल्ला- रासमोह, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 6306611566

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सफाई नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैंडलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 910 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री अरविन्द भायव
पुत्र- स्क. रामभरत भायव
मोहल्ला- रासमण्डल, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 9554245915

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेंके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक-१०७ / छ:-स्वा० / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री गौड़ भायव
पुत्र- श्री पुल्लु भायव
मोहल्ला- मलहारा, जौनपुर
मोबाईल नम्बर- 0124816937

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ०प्र० सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा० एन०जी०टी० एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र०अ० स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा० अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

/

(धर्मराज राम)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।



नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

नोटिस

पत्रांक- 909 / छ:-स्वा0 / 2026-27

दिनांक- 20/07/2026

नाम- श्री हम्मी भादव
पुत्र- श्री पुल्लु भादव
मोहल्ला- मल्लुभा जौनपुर
मोबाईल नम्बर-

क्षेत्रीय सफाई नायक/प्रभारी सफाई नायक की पूर्व रिपोर्ट दिनांक-15.07.2026 के दृष्टिगत आप द्वारा अपने गाय व भैस का गोबर सरकारी नाली में बहाने के कारण एवं मार्ग अवरोध तथा प्रदूषण के साथ ही गम्भीर बीमारियों के फैलने की भी आशंका है। जो म्युनिसिपल एक्ट/वाइलाज की धारा-265/267 एवं उ0प्र0 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हैण्डलिंग एवं सैनिटेशन रूल्स 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके क्रम में निर्देशित किया गया था कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें अन्यथा कि स्थिति में मा0 एन0जी0टी0 एक्ट की धारा 15 व 16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट को सड़क के किनारे फेके जाने पर जुर्माना अथवा विधिक कार्यवाही कि जायेगी।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि इस सूचना को प्राप्त करने के तीन दिवस के अन्दर गाय व भैस का गोबर साफ कराते हुए नाली में बहाना बन्द कर दें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर जिलाधिकारी/प्र0अ0 स्थानीय निकाय जौनपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2- मा0 अध्यक्ष महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक/सफाई नायक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(धर्मराज राम)
अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।